

प्रेस नोट- थाना कम्पिल

दिनांक :- 31.07.2024

थाना कम्पिल पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 21/2024 धारा 379/411 भादवि से सम्बन्धित 02 अभियुक्तगण को किया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री जोगेन्द्र सिंह के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री आलोक प्रियदर्शी के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक डा0 संजय कुमार व क्षेत्राधिकारी कायमगंज श्री जय सिंह के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कम्पिल पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 21/2024 धारा 379/411 भादवि में प्रकाश में आये अभियुक्तगण 1. राहुल पुत्र होशियार सिंह निवासी ग्राम मौजी नगला थाना पटियाली जनपद कासगंज 2. कुलदीप पुत्र सजीवन निवासी ग्राम अलईयापुर थाना पटियाली जिला कासगंज को गिरफ्तार कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. राहुल पुत्र होशियार सिंह निवासी ग्राम मौजी नगला थाना पटियाली जनपद कासगंज।
2. कुलदीप पुत्र सजीवन नि0 ग्राम अलईयापुर थाना पटियाली जनपद कासगंज।

पूछताछ का विवरण:- अभियुक्त द्वारा पूछताछ पर बताया कि मैं व मेरे साथी कुलदीप के पास जो कुण्डल है वो दिनांक 15.02.2024 को हम लोगो ने एक राह चलती महिला को अपनी मोटरसाइकिल पर आगे छोड़ने के बात कहकर नुनैरा गांव से बैठा लिया था तथा चलती मोसा0 से ही उसके गहने उतरवा कर बैग में रखने को बोलकर बैग से 02 कान के कुण्डल व एक जोड़ी पायल तथा एक हजार रूपये चुरा लिये थे। चाँदी की पायल राह चलते आदमी को 1200 रूपये में बेच दिये थे, जिसे हम नहीं जानते और हमने आपस में पैसे बाट लिए। कुण्डल को सही कीमत नहीं मिलने के चलते इसको बेच नहीं पाए।

बरामदगी का विवरण:-

1. पीली धातु के 02 कुण्डल/झाले
2. 02 अदद मोबाइल फोन
3. एक अदद मोटरसाइकिल सीज शुदा धारा 207 एमवी एक्ट।
4. 530 रूपये

अभियुक्त कुलदीप उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 21/2024 धारा 379/411 थाना कम्पिल फरूखाबाद।

अभियुक्त राहुल उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 21/2024 धारा 379/411 थाना कम्पिल जनपद फतेहगढ़।
2. 112/2020 धारा 323/325/354/504 भादवि व 3(2)(VA) Sc /St Act थाना पटियाली कासमगंज।
3. 120/22 धारा 363/366/376 भादवि व 5/6 पाक्सो एक्ट थाना पटियाली कासमगंज।

गिरफ्तार करने वाली थाना कम्पिल पुलिस टीम:-

1. थानाध्यक्ष जितेन्द्र चौधरी
2. उ0नि0 मुनीर खान
3. उ0नि0 संजय कुमार राय
4. उ0नि0 रवि सौलकी
5. हे0का0 इसरार अहमद
6. हे0का0 सुनील कुमार
7. का0 अभय सागर

सर्विलांस/SOG टीम

1. उप० नि० जितेन्द्र पटेल (प्रभारी SOG)
2. उप० नि० विशेष कुमार (प्रभारी सर्विलांस)
3. हे0का0 करन यादव (सर्विलांस)
4. हे0का0 अजय सिंह (सर्विलांस)
5. हे0का0 अनुराग कुमार (सर्विलांस)
6. हे0का0 संदीप राव (सर्विलांस)
7. हे0का0 गजराज सिंह
8. हे0का0 बलवीर सिंह
9. का0 दिव्यांशु
10. का0 विकास चन्द्र
11. का0 प्रिंस युवराज
12. का0 विनोद कुमार

मीडिया सेल फतेहगढ़।

थाना मऊदरवाजा

दिनांक- 31.07.2024

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त गोपाल पुत्र दीपू सक्सेना निवासी ब्लाक न० 04 काशीराम कालोनी हैबतपुर गढ़िया थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़ मु०अ०सं०- 379/2021 वाद स०- 106/2021 धारा- 363,366,376 IPC 3/4 POCSO ACT थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र मा० न्यायालय में प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहरीर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए दिनांक 31.07.2024 को मा० न्यायालय स्पेशल पाक्सो एक्ट कोर्ट फरूखाबाद द्वारा दोषसिद्ध कर 03 वर्ष का कारावास व 10 हजार रू० के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



एडीजीसी - श्री प्रदीप कुमार



कोर्ट मोहरीर म०का० स्वाती



पैरोकार का० नितिन यादव





